APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट सरेरी

मोहनलाल पिता लक्ष्मण सोनी
निवासी– सरेरी

बनाम राजू पिता धन्ना लाल सोनी
निवासी– सरेरी स्टेशन

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88,188, 53 ए. रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 1764/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरेरी पर पेश हुई । वादी मोहनलाल व उनके अधिवक्ता श्री धमेन्द्र आमेटा उपस्थित हुये । प्रतिवादी राजू व सॉवर उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण केम्प कोर्ट में करवाये जाने की इस्तदुआ करने पर उभयपक्ष की सहमति से उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि हाल राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 , 3 व 4 के पिता धन्ना लाल व पन्नालाल , कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण सोनी के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार धन्ना लाल की करीब डेड वर्ष पूर्व मृत्यु हो चूकी है, उसके वारिस प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 4 है। खातेदार पन्नालाल पिता लक्ष्मण दिनांक 19.10.2016 को लाऔलाद फौत हो चूका है जो अक्सर बिमार रहता था तथा लकवे से पीडित था, जिसकी मानसिक सन्तुलन ठीक नही होने से सोचने समझने में असमर्थ था। प्रतिवादी नम्बर– 1 के दिल में बदनियती आ जाने से एवं पन्नालाल के हिस्से की आराजीयात को अकेले हडपनें की नियत से कपट पूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से कूट रचित गोदनामा दिनांक 15.01.1997 को बनवा लिया। जो वादी के हक पर बेअसर है। वादी के द्वारा उक्त गोदनामा को निरस्त करने हेतु माननीय एस.सी.जे.एम. न्यायालय गुलाबपुरा में वाद संख्या– 52/2016 मोहन लाल बनाम राजू वगैराह प्रस्तुत कर रखा है। मृतक पन्ना लाल की 1/4 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 का बराबर बराबर हिस्सा बनता है। जिससे वादी अपने निहित हिस्से को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में मृतक खातेदार पन्नालाल के हक हिस्से की आराजीयात में वादी को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें । उपस्थित प्रतिवादी	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

संख्या–1 राजू ने कथन किया कि पन्ना लाल की सेवा चाकरी उसने की है, पन्नालाल ने उसे पुत्र की तरह रखा था तथा उसके पक्ष में गोदनामा लिखकर उसे रजिस्टर्ड करवाया था तभी से पन्नालाल की सम्पति पर उसका ही कब्जा है। यदि ए.सी.जे.एम. कोर्ट गोदनामा को निरस्त कर देवें तो पन्ना की भूमि के लिये वादी को खातेदारी घोषित कर दिया जावे तो मुझे कोई आपति नही है। इसके लिये वकील वादी ने भी अपनी सहमति जाहिर की है।

मैनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 मौजा सरेरी तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 946, 950, 950/1305, 954, 955 किता 5 रकबा 10 बीघा भूमि धन्ना लाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण सूनार साकिन देह के नाम होना प्रकट आया है।

यहॉ वादी का कथन है कि खातेदार पन्नालाल लाऔलाद फौत हुआ है। पन्नालाल की भूमि पर वादी व उसका भाई कन्हैयालाल, धन्नालाल का समान हक हिस्सा है। धन्ना लाल की भी मृत्यु हो चूकी है, उसके वारिस वादी संख्या– 1 से 4 है। प्रतिवादी संख्या– 1 राजू के द्वारा एक फर्जी गोदनामा तैयार कर पन्नालाल की भूमि को हडपना चाहता है। जबकि पन्ना काफी बीमार रहता था लकवे से पीडित था तथा उसका मानसिक सन्तुलन ठीक नही रहता था और वह सोचने समझने में भी असमर्थ था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–1 राजू के द्वारा जो गोदनामा तैयार करवाया गया है वह फर्जी है। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा गोद नामा दिनांक 16.01.1997 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। जिसका अवलोकन किया गया उक्त गोदनामा में पन्नालाल, पिता लक्ष्मण लाल सोनी निवासी सरेरी ने राजू पिता धन्नालाल सोनी निवासी सरेरी को अपना दतक पुत्र रखा जाना प्रकट आया है। वादी के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को कूट रचित एवं फर्जी होना बताया है तथा गोदनामा निरस्त करने हेतु माननीय ए.सी.जे.एम. न्यायालय, गुलाबपुरा में वाद प्रस्तुत करना भी जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह आदेश सूनाया जाना मुसासिब समझता है कि –

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

"निर्णय"

दावा डिकी किया जाकर तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता है कि माननीय ए.सी.जे.एम न्यायालय गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या– 52/2016 उनवान मोहनलाल बनाम राजू वगैराह के निर्णय में यदि रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 16.01.1997 को निरस्त कर दिया गया हो तो मौजा सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 946, 950, 950/1305, 954, 955 किता 5 रकबा 10 बीघा भूमि के मृतक खातेदार पन्नालाल पिता लक्ष्मण सूनार के हक हिस्से के भूमि के लिये मोहनलाल, कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण, 1/3, 1/3 व राजू, सॉवरलाल, रोशनी पिता धन्ना लाल, कमला पत्नि धन्ना लाल सूनार को 1/3 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को केम्प कोर्ट सरेरी पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner